अध्याय 5

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

5.1 परिचय

यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) में वे सरकारी कंपनियां शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं। राज्य सरकार द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित अन्य कंपनियां भी है जिनको राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में बाँटा गया है।

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में वैसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार, या किसी राज्य सरकार/ सरकार के पास या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास होती है, तथा इसमें वैसी कंपनी भी शामिल है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अलावा, कोई अन्य कंपनी[1] केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी के रूप में परिभाषित है।

राज्य में 2020-21 तक एसपीएसई की कुल संख्या 31 है, जबकि पिछले तीन वर्षों यानी 2018-19 से 2020-21 तक के नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर, 16 एसपीएसई (15 सरकारी कंपनियां और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी) को इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

5.2 शासनादेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अधीन बनाए गए विनियम के तहत सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और जिस तरीके से खातों की लेखा परीक्षा की जानी है उस पर निर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के लिए आवश्यक है कि उनके खातों की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा की जाए।

5.3 इस अध्याय में क्या है

यह अध्याय राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन की एक समग्र तस्वीर देता है जैसा कि उनके खातों से पता चलता है।

यह अध्याय सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एसपीएसई द्वारा

---

[1] कंपनी (कठिनाइयों का विलोपन) सातवां आदेश, 2014 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक: 04-09-2014

अनुपालन की स्थिति, कॉर्पोरेट शासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन, राज्य सरकार और एसपीएसई के बीच के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विश्लेषण, एसपीएसई में विनिवेश, एसपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय और एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के कार्यान्वयन का प्रभाव की एक समग्र तस्वीर भी देता है।

5.4 एसपीएसई की संख्या

31 मार्च 2021 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें 30 राज्य सरकार की कंपनियां और एक राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी शामिल हैं। एसपीएसई की प्रकृति **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका 5.1: इस अध्याय में शामिल एसपीएसई की प्रकृति

एसपीएसई की प्रकृति	कुल संख्या	एसपीएसई की संख्या जिनके खाते रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				शामिल नहीं किये गये एसपीएसई की संख्या
		2020-21 तक खाते	2019-20 तक खाते	2018-19 तक खाते	कुल	
क्रियाशील सरकारी कंपनियाँ[2]	27	01	04	07	12	15
क्रियाशील सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	01	00	01	00	01	00
कुल क्रियाशील एसपीएसई	**28**	**01**	**05**	**07**	**13**	**15**
अक्रियाशील सरकारी कंपनियाँ	03	00	03	00	03	00
कुल अक्रियाशील एसपीएसई	**03**	**00**	**03**	**00**	**03**	**00**
कुल	**31**	**01**	**08**	**07**	**16**	**15**

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते

2020-21 के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में राज्य सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है। इस अध्याय में 15 एसपीएसई शामिल नहीं हैं जिनके खाते तीन साल से अधिक समय से बकाया हैं या जिनके खाते परिसमापन के अन्तर्गत है। इन एसपीएसई को **परिशिष्ट 5.2** में दर्शाया गया है।

16 एसपीएसई में से केवल एक[3] ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, आठ एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया और सात एसपीएसई ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने खातों को 31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप दिया। एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का परिणाम/ सारांश 2020-21 के लिए **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का परिणाम/सारांश

विवरण	ब्यौरा
एसपीएसई की संख्या	31
इस अध्याय में शामिल एसपीएसई	16
चुकता पूंजी (एसपीएसई)	` 4,395.33 करोड़
दीर्घावधि ऋण (एसपीएसई)	` 14,524.98 करोड़
शुद्ध लाभ (4 एसपीएसई)	` 37.47 करोड़
शुद्ध हानि (10 एसपीएसई)	-` 1,383.36 करोड़
शून्य लाभ/हानि (एसपीएसई)	2
घोषित लाभांश (एसपीईएस)	शून्य
कुल संपत्ति (एसपीईएस)	` 43,055.30 करोड़

[2] सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) में निर्दिष्ट सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

[3] झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कारोबार (एसपीएसई)	` 5,603.41 करोड़
निवल मूल्य (एसपीएसई)	-` 3,567.84 करोड़

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते

5.5 जीएसडीपी में एसपीएसई के कारोबार का योगदान

इस अध्याय में शामिल 16 एसपीएसई के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के कारोबार का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एसपीएसई की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। **तालिका 5.3** मार्च 2021 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए झारखण्ड राज्य के एसपीएसई और जीएसडीपी के कारोबार का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 5.3: झारखण्ड के जीएसडीपी की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार का विवरण

(` करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
कारोबार	4433.80	5605.82	5603.41
पिछले वर्ष के कारोबार की तुलना में कारोबार में प्रतिशत परिवर्तन	19.58	26.43	-0.04
झारखण्ड का जीएसडीपी	3,05,695	3,21,157	3,17,079
पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन	13.30	5.06	-1.27
झारखण्ड के जीएसडीपी में कारोबार का प्रतिशत	1.45	1.75	1.77

स्रोत: झारखण्ड राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार कार्यात्मक एसपीएसई और जीएसडीपी आंकड़ों के कारोबार के आंकड़ों के आधार पर संकलित

16 एसपीएसई का कारोबार 2018-19 में ` 4,433.80 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ` 5,605.82 करोड़ हो गया और 2020-21 में घटकर ` 5,603.41 करोड़ हो गया। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान टर्नओवर में परिवर्तन की दर -0.04 प्रतिशत और 26.43 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के जीएसडीपी में परिवर्तन की दर -1.27 प्रतिशत से 13.30 प्रतिशत के बीच रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि[4] 0.07 प्रतिशत थी।

जीएसडीपी के 0.07 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के मुकाबले, पिछले तीन वर्षों के दौरान एसपीएसई के कारोबार में 0.01 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। 2019-20 में टर्नओवर में वृद्धि बिजली क्षेत्र की कंपनियों के टर्नओवर में वृद्धि यानी 2018-19 में ` 4,362.87 करोड़ से 2019-20 में ` 5,536.97 करोड़ होने के कारण हुई थी। 2020-21 में टर्नओवर में मामूली गिरावट गैर-विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की टर्नओवर में कमी के कारण थी यानी 2019-20 में ` 68.85 करोड़ से 2020-21 में ` 66.44 करोड़। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन एसपीएसई के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2018-19 में 1.45 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 1.77 प्रतिशत हो गई।

5.6 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश

31 मार्च 2021 के अंत में 30 सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि **तालिका 5.4** में दी गई है।

[4] चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [{(2020-21 का मूल्य/2018-19 का मूल्य)^(1/3 वर्ष)}-1]*100

तालिका 5.4: सरकारी कंपनियों और अन्य में इक्विटी में निवेश और ऋण

(` करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक		
	इक्विटी	लंबी अवधि के ऋण	कुल	इक्विटी	अवधि के ऋण	कुल
राज्य सरकार	4604.13	13569.42	18173.55	5237.13	17053.93	22291.06
केंद्र सरकार	0.00	1192.76	1192.76	0.00	1233.36	1233.36
अन्य (सरकारी कंपनियों सहित)	14.93	488.29	503.22	17.45	487.56	505.01
कुल निवेश	**4619.06**	**15250.47**	**19869.53**	**5254.58**	**18774.85**	**24029.43**
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.68	88.98	91.46	99.67	90.83	92.77

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

5.7 एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग

2020-21 के दौरान, 31 एसपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी होल्डिंग में ` 635.52 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की। एसपीएसई में अंकित मूल्य पर राज्य सरकार की इक्विटी होल्डिंग 2020-21 में बढ़कर ` 5,237.13 करोड़ हो गई, जो 2018-19 में ` 4,596.21 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एसपीएसई में इक्विटी में निवेश का विवरण **तालिका 5.5** और **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: इक्विटी में निवेश

(` करोड़ में)

निवेश के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार	4,596.21	4,604.13	5,237.13
केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00
अन्य*	9.38	14.93	17.45
कुल निवेश	**4,605.59**	**4,619.06**	**5,254.58**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

* अन्य में कंपनियां और निगम शामिल हैं

एसपीएसई की चुकता पूंजी में 2020-21 के दौरान राज्य सरकार की अर्थपूर्ण हिस्सेदारी का विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6: राज्य सरकार की अर्थपूर्ण हिस्सेदारी

सीपीएसई का नाम	विभाग का नाम	राशि (` करोड़ में)
जेबीवीएनएल	ऊर्जा	3,111.03
जेयूएसएनएल	ऊर्जा	1,601.06
टीवीएनएल	ऊर्जा	105.00
जीआरडीए	शहरी आवास	164.14
कुल		**4,981.23**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

5.8 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

वर्ष 2020-21 तक राज्य सरकारों और अन्य द्वारा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश की गई पूंजी **तालिका 5.7** में दी गई है।

तालिका 5.7: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना

(` करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	प्रदत्त पूंजी			कुल प्रदत्त पूंजी
		झारखण्ड सरकार	भारत सरकार	अन्य	
1	झारखण्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेआरआईडीसीएल)	5.00	0.00	4.08	9.08
	कुल	**5.00**	**0.00**	**4.08**	**9.08**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

5.9 राज्य सरकार की कंपनियों को दिए गए ऋण

31 एसपीएसई में से, 21 एसपीएसई के पास 31 मार्च 2021 को कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी कंपनी ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान मूलधन के साथ-साथ ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया था। वर्षवार विवरण एसपीएसई के बकाया दीर्घकालिक ऋण **तालिका 5.8** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.8: 10 एसपीएसई में बकाया दीर्घकालिक ऋण

(` करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार	13,387.34	13,569.42	17,053.93
केंद्र सरकार	906.63	1,192.76	1,233.36
अन्य	471.87	488.29	487.56
कुल दीर्घकालिक ऋण	**14,765.84**	**15,250.47**	**18,774.85**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

31 मार्च 2021 को 31 एसपीएसई में से 10[5] में बकाया कुल दीर्घकालिक ऋण `18,774.85 करोड़ था जिसमें राज्य सरकार के {` 17,053.93 करोड़ (90.83 प्रतिशत)} ऋण शामिल हैं। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में दिए गए दीर्घकालिक ऋणों में ` 3,666.59 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई और अन्य स्रोतों से ऋण में भी ` 15.69 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार के कुल ऋणों में से ` 49.86 करोड़ (0.27 प्रतिशत) गैर-

[5] पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल), कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल), झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल), झारखण्ड राज्य खाद्य तथा नागरिक सप्लाई कॉर्पोरेशन (जेएसएफसीएससी) लिमिटेड, झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरीगेशन कॉर्पोरेशन (झालको) लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल) और झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (जेपीपीएल)।

विद्युत क्षेत्र के पास बकाया था। शेष विधुत क्षेत्र के साथ था जबकि 'अन्य' से ऋण पूरी तरह से बिजली क्षेत्र से संबंधित था।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान किसी भी कंपनी ने राज्य सरकार को मूलधन के साथ-साथ ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया था।

5.10 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल संपत्ति के लिए कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि कोई कंपनी सॉल्वेंट रह सकती है या नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों/ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2021 को बकाया ऋण वाले 10 एसपीएसई में कुल संपत्ति के मूल्य के आधार पर दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9: एसपीएसई जिनका 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण था

(` करोड़ में)

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	एसपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	संपत्तियां	ऋण के लिए संपत्ति का प्रतिशत	एसपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	संपत्तियां	ऋण के लिए संपत्ति का प्रतिशत
सरकारी कंपनी	8	18,699.49	42,344.74	226.45	2	31.4	24.37	77.61

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

10 एसपीएसई में से, दो एसपीएसई[6] के कुल संपत्ति का मूल्य बकाया ऋण से कम था।

5.11 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजटीय सहायता

झारखण्ड सरकार एसपीएसई को वार्षिक बजट के माध्यम से इक्विटी, ऋण, सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 16 एसपीएसई में से छह में, राज्य सरकार ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान (2018-19 के दौरान छः एवं 2020-21 के दौरान पांच) इक्विटी, ऋण, सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की। 2018-19 तथा 2020-21 के दौरान छह एसपीएसई को इक्विटी, ऋण, अनुदान और सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता का विवरण **तालिका 5.10** में दिया गया है।

तालिका 5.10: राज्य सरकार के एसपीएसई को अनुदान और सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता का विवरण

(` करोड़ में)

विवरण[7]	2018-19		2019-20		2020-21	
	एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या[8]	राशि
विद्युत						
इक्विटी पूंजी व्यय (i)	0	0	0	0	0	626.00
दिए गए ऋण (ii)	2	1,493.11	2	182.08	1	3,485.51
प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	1,250.00	1	600.00	1	0.00
कुल व्यय (i+ii+iii) विद्युत	**2**	**2,743.11**	**2**	**782.08**	**1**	**4,111.51**
गैर-विद्युत						

6 झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड

7 राशि केवल राज्य के बजट से बाहर जाने का प्रतिनिधित्व करती है।

8 झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और शहरी आधारभूत संरचना विकाश कम्पनी लिमिटेड

विवरण[7]	2018-19		2019-20		2020-21	
	एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या	राशि	एसपीएसई की संख्या[8]	राशि
विद्युत						
इक्विटी पूंजी व्यय (i)	3	67.08	3	7.92	2	7.00
दिए गए ऋण (ii)	0	0	0	0	0	0
प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	286.36	1	699.90	1	348.55
कुल व्यय (i+ii+iii)	**4**	**353.44**	**4**	**707.82**	**3**	**355.55**
व्यय का महायोग	**6**	**3,096.55**	**6**	**1,489.90**	**4**	**4,467.06**

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी क्योंकि एसपीएसई के खाते बकाया हैं।

5.12 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

5.13 सरकारी कंपनियों से प्रतिफल

एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

नवीनतम अंतिम खातों के आधार पर गैर- विद्युत क्षेत्र से संबंधित पांच एसपीएसई ने 2018-19 में ` 41.13 करोड़ का लाभ दर्ज किया, दो ने 2019-20 में ` 9.89 करोड़ का लाभ दर्ज किया और 2020-21 के दौरान किसी भी एसपीएसई ने लाभ की सूचना नहीं दी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई की संख्या को **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1: पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई

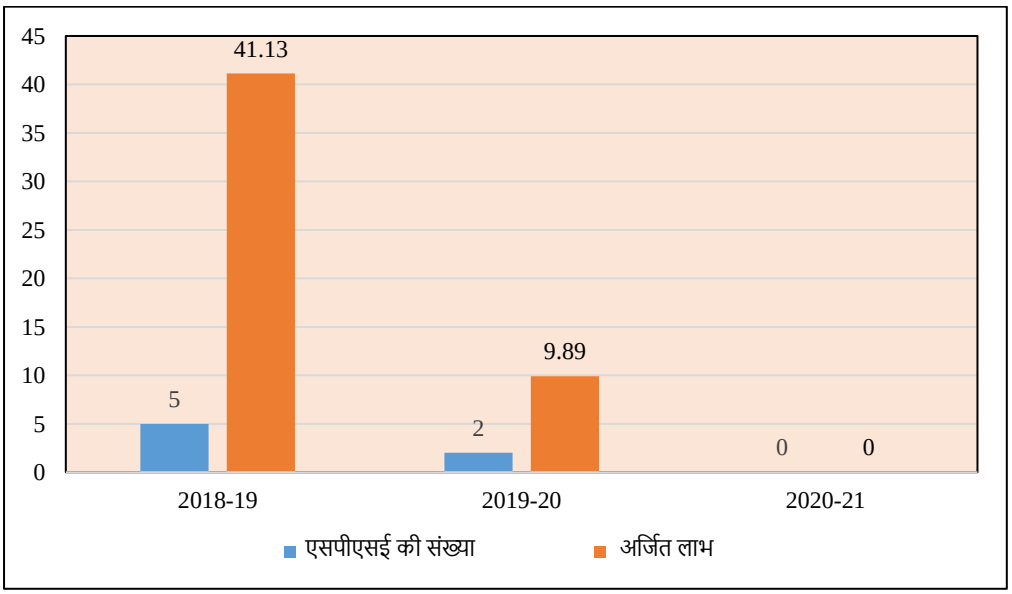

इन पांच लाभ कमाने वाले एसपीएसई में से, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार `10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया।

एसपीएसई द्वारा लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले एसपीएसई को न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना आवश्यक है।

5.14 ऋण सेवा और कानूनी अनुपालन

ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसी अवधि के ब्याज व्यय से ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके गणना की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से नीचे आईसीआर इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान एसपीएसई के सकारात्मक और नकारात्मक आईसीआर का विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया है।

तालिका 5.11: ब्याज कवरेज अनुपात

(` करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ईबीआईटी)	एसपीएसई की संख्या	1 से कम आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या
2018-19	623.24	-963.52	3	3
2019-20	806.97	-1,343.00	3	3
2020-21	899.11	-1,343.00	3	3

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

तालिका से देखा जा सकता है कि तीन एसपीएसई[9] का आईसीआर एक से कम था। तीनों बिजली क्षेत्र के एसपीएसई हैं। यह इंगित करता है कि इन एसपीएसई की कमाई उनके ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो दिवालियेपन के उच्च जोखिम को भी इंगित करता है।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए तीन एसपीएसई (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल) के दीर्घकालिक ऋणों पर ` 3,676.63 करोड़ का ब्याज बकाया था। इन एसपीएसईज़ में राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.12: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

(` करोड़ में)

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	ऋण पर कुल बकाया ब्याज	ऋणों पर बकाया ब्याज		
			एक वर्ष से कम	एक से तीन वर्ष	तीन वर्ष से अधिक
विद्युत					
1	जेबीवीएनएल	2007.28	587.93	807.85	611.5
2	जेयूएसएनएल	1636.85	304.68	609.36	722.81
3	जेयूयूएनएल	32.5	6.5	13	13
कुल		**3,676.63**	**899.11**	**1,430.21**	**1,347.31**

[9] जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल, जेयूयूएनएल

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ` 1,347.31 करोड़ की राशि का ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। सभी कंपनियां इस अवधि के दौरान बकाया ऋणों के ब्याज के साथ-साथ मूलधन को चुकाने में विफल रहीं।

5.15 सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की गणना कंपनी के ईबीआइटी को नियोजित पूंजी[10] से विभाजित करके की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 16 एसपीएसई (6 विद्युत और 10 गैर-विद्युत क्षेत्र) के आरओसीई का विवरण **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका 5.13: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्षवार क्षेत्र-वार ब्रेक-अप	ईबीआइटी (` करोड़ में)	नियोजित पूंजी (` करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2020-21			
विद्युत	-1,357.8	21,138.36	-6.42
गैर-विद्युत	26.76	2,357.09	1.14
कुल	**-1,331.04**	**23,495.45**	**-5.67**
2019-20			
विद्युत	-1,357.8	21,137.88	-6.42
गैर-विद्युत	36.32	2,757.93	1.32
कुल	**-1,321.48**	**23,895.81**	**-5.53**
2018-19			
विद्युत	-969.8	20,797.19	-4.66
गैर-विद्युत	39.96	2,333.44	1.71
कुल	**-929.84**	**23,130.63**	**-4.02**
कुल योग	**-3,582.36**	**70,521.89**	**-5.08**

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खातों के आधार पर संकलित

तालिका से देखा जा सकता है कि 2018-19 में बिजली क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई (-) 4.66 प्रतिशत था जो 2019-20 और 2020-21 के दौरान घटकर (-) 6.42 प्रतिशत हो गया, जिसका कारण, विद्युत् क्षेत्र के एसपीएसई में ` 969.80 करोड़ (2018-19) तथा ` 1,357.80 करोड़ (2020-21) का नुकसान था।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओसीई 1.71 प्रतिशत से घटकर 1.14 प्रतिशत हो गया है।

सरकारी निवेश पर वास्तविक लाभ की दर

रिपोर्ट किए गए 16 एसपीएसई में झारखण्ड सरकार (जीओजे) द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए, ऐसे निवेश पर रिटर्न राज्य के वित्त के दृष्टिकोण से आवश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि इस तरह की गणना धन के वर्तमान

[10] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + लंबी अवधि के ऋण - संचित नुकसान - आस्थगित राजस्व व्यय

मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, निवेश पर रिटर्न की गणना राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक रिटर्न पर पहुंचने के लिए धन के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद की गई है। जहां राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त/ चूक गए दीर्घकालिक ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में धन का संचार किया गया था वहाँ राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना की गई थी।

16 एसपीएसई (विद्युत क्षेत्र और गैर-विद्युत क्षेत्र सहित) में से तीन[11] एसपीएसई अकार्यरत थे। इसलिए, शेष 13 एसपीएसई में, राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त/चूक गए दीर्घकालिक ऋण और पूंजीगत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां एसपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है। राजस्व अनुदान और सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई धनराशि को निवेश के रूप में नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[12] के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को पीवी पर पहुंचने के लिए छूट दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे सरकार द्वारा वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान जब विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई को घाटे हुए, प्रदर्शन का एक अधिक उपयुक्त उपाय नुकसान के कारण निवल मूल्य का क्षरण है। कंपनियों के निवल मूल्य के क्षरण पर **कंडिका 5.16** में टिप्पणी की गई है।

राज्य सरकार के निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य

इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2021 तक इक्विटी, ब्याज मुक्त / चूक गए ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में 13 कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति और 2017-18 से 31 मार्च 2021 तक उनसे संबंधित राज्य सरकार के निवेश के पीवी की समेकित स्थिति को **परिशिष्ट 5.3** में दर्शाया गया है।

इन 13 कंपनियों में राज्य सरकार का निवेश वर्ष के अंत में 2016-17 में ` 4,313.47 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ` 5020.80 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी के आकार में ` 707.33 करोड़ आगे निवेश किया। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के निवेश का पीवी ` 8,135.52 करोड़ आंका गया।

यह देखा जा सकता है कि इन कंपनियों से संबंधित वर्ष के लिए कुल आय 2017-18 से 2020-21 के दौरान नकारात्मक रही, जो यह इंगित करता है कि सरकार को निधियों की लागत की वसूली के लिए निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय, उन्होंने वर्षों से घाटा जमा किया है जो उन्हें व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य बना रहे हैं।

एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश पर वापसी

निवेश पर लाभ (आरओआई)[13] कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का एक पैमाना है जो कि कुल निवेश से शुद्ध आय को विभाजित करके गणना की जाती है।

---

11 जेसीएल, पीईएल् तथा केईएल

12 सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (झारखण्ड सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों से अपनाई गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राशि राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

13 निवेश पर वापसी = (ब्याज, कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी से पहले शुद्ध लाभ)*100/निवेश जहां निवेश = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार + दीर्घकालिक ऋण।

31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एसपीएसई/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के क्षेत्रवार आरओआई को **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.14: क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल

(` करोड़ में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
विद्युत	-5.30	-7.30	-
गैर-विद्युत	13.53	11.71	8.63

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2018-19 में विद्युत क्षेत्र का आर. ओ.आई (-) 5.30 प्रतिशत था जो कि जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल द्वारा ` 961.69 करोड़ के नुकसान के कारण था जो 2019-20 में घटकर (-) 7.30 प्रतिशत हो गया। गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओआई 2018-19 में 13.53 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.63 प्रतिशत हो गया। गैर-विद्युत क्षेत्र के आरओआई में कमी जेपीएचसीएल के लाभ अर्जन से उपगत हानि की ओर खिसकने के कारण हुई यानि 2018-19 में ` 3.47 करोड़ के लाभ अर्जन से 2020-21 में ` 9.72 करोड़ का घाटा उठाना था।

एसपीएसई की इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)[14] कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का एक पैमाना है, जिसकी गणना शेयरधारकों की इक्विटी से शुद्ध आय को विभाजित करके की जाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी का क्षेत्रवार आरओई **तालिका 5.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15: एसपीएसई की इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

(` करोड़ में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
विद्युत	- 33.55	- 34.09	- 34.09
गैर-विद्युत	5.51	5.05	2.87

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2018-19 में विद्युत क्षेत्र का आरओई (-) 33.55 प्रतिशत था जो जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल द्वारा `961.69 करोड़ के नुकसान के कारण था, जबकि गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओई 2018-19 के 5.51 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 2.87 प्रतिशत हो गया।

5.16 घाटे में चल रहे एसपीएसई

एसपीएसई, जिन्हें 2018-19 से 2020-21 के दौरान घाटा हुआ

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान 10[15] एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों ने घाटा उठाया जैसा की **तालिका 5.16** में दिया गया है।

तालिका 5.16: 2018-19 से 2020-21 के दौरान घाटा उठाने वाले एसपीएसई की संख्या

(` करोड़ में)

[14] इक्विटी पर रिटर्न = (कर और वरीयता लाभांश / इक्विटी के बाद शुद्ध लाभ)*100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय

[15] जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल, जेयूयूएनएल, जेसीएल, पेल, केल, जेपीएचसीएल, झारक्राफ्ट, जेपीपीएल और जेएफ़डीसीएल

वर्ष	घाटा उठाने वाले एसपीएसई/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानी		निवल मूल्य[16]
2018-19	10	986.65		-2929.34
2019-20	6	1,147.40		-4,150.93
2020-21	1*	9.72		8.15
कुल		**2,143.77**		**-7,072.12**

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते
* वर्ष 2020-21 के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक मात्र एक कंपनी (जेपीएचसीएल) ने अपने अंतिम खातों को अंतिम रूप दिया।

10 एसपीएसई/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा किए गए ` 2,143.77 करोड़ के कुल हानी में से, ` 2,093.22 करोड़ की हानि विद्युत क्षेत्र में काम करने वाले दो[17] एसपीएसई के कारण था। **तालिका 5.17** में सूचीबद्ध एसपीएसई को उनकी नवीनतम जानकारी के अनुसार ` 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

तालिका 5.17: ` 10 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाने वाले एसपीएसई

(` करोड़ में)

क्रम संख्या	एसपीएसई के नाम	अंतिम खाते का वर्ष	कर और वरीयता लाभांश के बाद शुद्ध हानि
विद्युत			
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	-1131.53
2	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2018-19	-210.6
	कुल- विद्युत		**-1342.13**
गैर-विद्युत			
1	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	-13.04
	कुल गैर-विद्युत		**-13.04**
	कुल योग		**-1355.17**

स्रोत: 31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

सरकारी कंपनियों में पूंजी का क्षरण

16 एसपीएसई/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में से, 10 एसपीएसई ने 31 मार्च 2021 को `1,383.36 करोड़ की राशि का घाटा उठाया। 31 मार्च 2021 को 10 एसपीएसई के संचित नुकसान ` 8,153.02 करोड़ का था, जिनमें से छह एसपीएसई के निवल मूल्य नकारात्मक (-) ` 4,252.60 करोड़ था एवं चार एसपीएसई के सकारात्मक ` 232.62 करोड़ थे, जबकि इक्विटी निवेश 31 मार्च 2021 को ` 4,133.04 करोड़ था।

5.17 उज्जवल डिस्कॉम एंश्योरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन

[16] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा मुक्त भंडार एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय। फ्री रिजर्व का मतलब है मुनाफे से बनाए गए सभी रिजर्व और शेयर प्रीमियम अकाउंट लेकिन इसमें संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाए गए रिजर्व तथा मूल्यह्रास प्रावधान को वापस लिखना शामिल नहीं है।

[17] 2018-19 और 2019-20 में जेबीवीएनएल और 2018-19 में जेयूएसएनएल

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरूआत (नवंबर 2015) की थी।

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), संबंधित राज्य सरकार तथा राज्य बिजली वितरण कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया था। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि में डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत लेने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम्स का बकाया ऋण इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में लिया जाना था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को बाद के तीन वर्षों में अनुदान तथा इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण को इक्विटी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अलावा, राज्य सरकार को डिस्कॉम्स की हानियों, यदि कोई हो, को निम्न श्रेणीबद्ध तरीके से लेना होगा:-

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2016-17 की हानि का 5%	2017-18 की हानि का 10%	2018-19 की हानि का 25%	गत वर्ष की हानि का 50%

झारखण्ड राज्य ने 30.09.2015 को जेबीवीएनएल की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को बकाया देय राशियों का 100 प्रतिशत तथा जेबीवीएनएल के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत ले लिया। राज्य ने जेबीवीएनएल को ` 6,136 करोड़ का ऋण जारी किया, जिसमें से ` 5,553 करोड़ उदय बांड पर उधार के रूप में जुटाए गए और ` 583.00 करोड़ राज्य की समेकित निधि से दिए गए। उदय बांड पर उधार 8 से 8.99 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उठाया गया है, जिसे वर्ष 2021-22 से 2030-31 के बीच चुकाया जाना था, जबकि जेबीवीएनएल को 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को दिए गए ऋण 31 अक्टूबर 2021 तक योजना के अनुसार अनुदान और/या इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया गया था। हालाँकि, नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, जेबीवीएनएल 2019-20 के दौरान ` 1,131.54 करोड़ का नुकसान उठा रहा था। जेबीवीएनएल की कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और 31 मार्च 2020 तक ऋणात्मक ` 4,187.57 करोड़ थी। 2015-16 के बाद राज्य द्वारा उदय बांड पर कोई उधार नहीं लिया गया था।

5.18 सीएजी की निगरानी भूमिका

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए. जी.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत राज्य सरकार की कंपनी और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सी.ए. जी. को पूरक लेखापरीक्षा

करने का तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाले कानूनों के लिए आवश्यक है कि उनके खातों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाए और एक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की जाए।

सी.ए.जी. द्वारा एसपीएसई के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि राज्य सरकार की कंपनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

एसपीएसई द्वारा खातों को जमा करना

➢ **समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता**

अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है और इस तरह की तैयारी के बाद राज्य विधानमंडल के सदनों के साथ ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति और सीएजी द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट पर कोई पूरक टिप्पणी दोनों पक्षों के सामने रखी जा सकती है। वैधानिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि पहले एजीएम की तारीख और अगले की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 यह निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए उक्त एजीएम में रखा जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान करती है।

उपरोक्त के बावजूद, विभिन्न एसपीएसई के वार्षिक लेखे 31 अक्टूबर 2021 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है।

➢ **राज्य सरकार की कंपनियों/सांविधिक निगमों द्वारा खाते तैयार करने में समयबद्धता**

31 मार्च 2021 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में 30 राज्य सरकार की कंपनियां और एक सरकार नियंत्रित दूसरी कंपनी थी। इनमें से वर्ष 2020-21 के खाते 30 राज्य सरकार की कंपनियों के बकाया थे। एक[18] राज्य सरकार की कंपनी ने 31 अक्टूबर 2021 से पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। शेष 30 राज्य सरकार की कंपनियों के खाते विभिन्न कारणों से बकाया थे।

[18] झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)

31 अक्टूबर 2021 को एसपीएसई के खातों को जमा करने में बकाया का विवरण **तालिका 5.18** में दिया गया है।

तालिका 5.18: एसपीएसई द्वारा खातों को जमा करने से संबंधित स्थिति

विवरण		सरकारी कंपनियां	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों	कुल
31 मार्च 2021 को सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में एसपीएसई की कुल संख्या		30	01	31
घटाव-नए एसपीएसई, जिनसे 2020-21 के खाते देय नहीं थे		-	-	-
एसपीएसई की संख्या जिनसे 2020-21 के लिए खाते देय थे		30	01	31
31 अक्टूबर 2021 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 2020-21 के लिए लेखा प्रस्तुत करने वाले एसपीएसई की संख्या		01	00	01
31 अक्टूबर 2021 तक बकाया खातों वाले एसपीएसई की संख्या		29	01	30
बकाया खातों की संख्या		98	01	99
बकाया का विभाजन विस्तार	(i) परिसमापन के तहत	00	00	00
	(ii) गैर-कार्यात्मक	03	00	03
	(iii) अन्य	95	01	96
अन्य श्रेणी के लिए बकाया राशि का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2020-21)	10	01	11
	दो वर्षों (2018-19 और 2019-20)	13	00	13
	तीन वर्षों से अधिक	06	00	06

5.19 लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। सांविधिक निगमों को सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में खातों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान में अपने खाते तैयार करने की आवश्यकता होती है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा एसपीएसई के खातों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, राज्य सरकार की कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यों की निगरानी करके एक निरीक्षक की भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य सांविधिक लेखापरीक्षक को सौंपे गए कार्यों को ठीक और प्रभावी ढंग से पूर्ण करना है। यह कार्य निम्न शक्तियों के प्रयोग से होता है:

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को निर्देश जारी करना और

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

एसपीएसई के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सीएजी को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित राज्य सरकार की कंपनियों के प्रमाणित खातों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा सीएजी द्वारा एक पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हो, को वार्षिक आम बैठक से पहले प्रस्तुत किया जाता है।

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर यानी अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अंतिम रूप देना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती है।

नीचे दी गई **तालिका 5.19** में 31 अक्टूबर 2021 तक खातों को अंतिम रूप देने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का विवरण दिया गया है।

तालिका 5.19: कार्यरत और निष्क्रिय पीएसयू के खातों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं	विवरण	कार्यरत	निष्क्रिय	कुल
1	पीएसयू की संख्या	28	03	31
2	बकाया खातों वाले पीएसयू की संख्या	27	03	30
3	बकाया खातों की संख्या	81	03	84
4(अ)	छह साल से अधिक के बकाया वाले पीएसयू की संख्या	03	00	03
4(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	26	00	26
5(अ)	तीन से पांच वर्षों के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	12	00	12
5(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	41	00	41
6(अ)	एक से दो वर्ष के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	12	03	15
6(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	14	03	17
7	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 10	1 से 2	1 से 10

स्रोत: कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी से संकलित आंकड़ा

उपरोक्त स्थिति संबंधित प्रशासनिक विभागों और विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को दर्शाती है कि चूक करने वाली कंपनियां कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करती हैं। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों के खाते अक्टूबर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

यह देखा गया कि 15 कंपनियां अपने खाते जमा करने में लगातार चूककर्ता थीं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में उनके बकाया खाते 30 सितंबर 2021 को तीन से 10 वार्षिक खातों के बीच थे।

5.20 सीएजी की पर्यवेक्षक भूमिका का परिणाम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत एसपीएसई के खातों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण केवल एक कंपनी यानी झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 31 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त हुए थे।

एसपीएसई पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, सीएजी ने अक्टूबर 2021 तक राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की।

चालू वर्ष में पच्चीस वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जिन्हें 31 अक्टूबर 2021 तक अंतिम रूप दिया गया। इन 25 वित्तीय विवरणों में से 15 वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें 10 शून्य टिप्पणियां जारी की गईं और चार वित्तीय विवरणों में गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र दिया गया। 10 वित्तीय विवरणों में से, जहां शून्य टिप्पणियां जारी की गई थीं, तीन वित्तीय विवरणों के मामले में, सांविधिक लेखापरीक्षक ने हमारी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया था।

लेखा मानकों/इंड एएस के प्रावधानों का अनुपालन न करना

उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखा मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किया। इनके अलावा, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि चार एसपीएसई ने अनिवार्य लेखा मानकों/इंड-एएस का अनुपालन नहीं किया जैसा कि **तालिका 5.20** में दिया गया है।

तालिका 5.20: उन कंपनियों का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन नहीं किया गया था

क्र.सं	एसपीएसई के नाम	अंतिम खाते का वर्ष	एएस	इंड एएस
1.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19 & 2019-20	-	1,2,16,17, 23, 26, 36 और 37
2.	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18 & 2018-19	22	-

क्र.सं	एसपीएसई के नाम	अंतिम खाते का वर्ष	एएस	इंड एएस
3.	ग्रेटर रांची विकास एजेंसी	2018-19	29	-
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	3, 22 और 29	-

5.21 निष्कर्ष

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) थे। इनमें से, केवल 16 एसपीएसई (एक राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी सहित) के 2020-21 (पिछले तीन वर्षों) तक वित्तीय प्रदर्शन अद्यतन खातों के आधार पर थे, केवल एक ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, 08 एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया और 07 एसपीएसई ने वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2021 तक अपने खातों को अंतिम रूप दिया।

एसपीएसई का कारोबार 2018-19 में ` 4433.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में ` 5605.82 करोड़ था जो 2020-21 में घटकर ` 5603.41 करोड़ हो गया।

31 मार्च 2021 को 16 एसपीएसई में से 10 एसपीएसई को ` 1,383.36 करोड़ का घाटा हुआ। इसके अलावा, 10 एसपीएसई में ` 8,153.02 करोड़ का संचित नुकसान हुआ था जिसमें से 31 मार्च 2021 को ` 4,133.04 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले छह एसपीएसई का शुद्ध मूल्य नकारात्मक ` 4,252.60 करोड़ तथा चार एसपीएसई में शुद्ध मूल्य सकारात्मक ` 232.62 करोड़ था।

विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई द्वारा ` 969.80 करोड़ (2018-19) से ` 1,357.80 करोड़ (2020-21) घाटे के कारण 2018-19 में विद्युत क्षेत्र का आरओसीई (-) 4.66 प्रतिशत से घटकर 2019-20 तथा 2020-21 में (-) 6.42 प्रतिशत हो गया। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओसीई 1.71 प्रतिशत से घटकर 1.14 प्रतिशत हो गया।

राँची
दिनांक

(इन्दु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक